



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 625822

कार्यालय न्यायिक मंडल सदर
 द्वारा जारी किया गया 2018... में लेखपत्र
 संख्या... 2142... के
 संस्थापित कार्यालय... के
 तन्तों में जारी किया गया 6

A. Ily
 MANAGER
 LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
 NIZAMUDDIN PURA
 MAU

P. Janki
 PRINCIPAL
 LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)
 MAU
 सुनने वाला-संस्कृत प्रसाद सत्य प्रताप
 19.07.2018
 उप निदेशक
 मंडल-माऊ



डीड आफ ट्रस्ट

श्री. शंकर यादव पुत्र श्री जगरनाथ यादव, निवासी निजामुद्दीनपुरा, पो0 मऊ नाथ भंजन, जिला
 देवी पत्नी श्री विजय शंकर यादव निजामुद्दीनपुरा, मऊ नाथ भंजन मऊ ने इस ट्रस्ट के
 हैं जो दिनांक 14.09.2001 को स्थित्व में लाया गया है। हम सस्थापक ट्रस्टी समाज सेवा
 से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबों के उत्थान, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों का
 विशेष रूचि रखने के कारण इस पब्लिक ट्रस्टी की स्थापना करते हैं, मैं विजय शंकर यादव
 देवी शयं को प्रथम ट्रस्टी नियुक्त करते हुए आजाद हिन्द गिद्या ट्रस्ट नामक ट्रस्ट की
 की घोषणा करते हैं, नेम्नाकित अन्य व्यक्तियों जिनके नाम व पता निचे लिखित है उक्त
 के सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमत प्रदान किया है।


श्री. शंकर यादव
 श्री. शंकर यादव
 (विजय शंकर यादव)

श्री. विजया देवी

MANAGER
 LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
 NIZAMUDDIN PURA
 MAU

Principal
 P. Janki
 PRINCIPAL
 LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)
 MAU

19.07.2018



नाम	पति/पिता का नाम	पता,	व्यवसाय
श्री मुरलीधर	श्री अखिलेश	मुशीपुरा, मऊ नाथ भंजन, मऊ	कृषि
श्रीमती पुष्पा देवी	श्री बंशीधर	निजामुद्दीनपुरा, मऊ।	कृषि
श्री शिवलोचन यादव	श्री सुदिन यादव	भुडसुरी, रतनापुरा, मऊ।	नौकरी
श्री फुलमती देवी	श्री रविन्द्र	सिसैडकला, बलिया।	कृषि
श्री देवेन्द्र	श्री रामनगर	सैदपुरा, इब्राहिमपट्टी, बलिया।	नौकरी

ट्रस्ट (डीड) को निस्पादित करना आवश्यक हो गया कि इस लिए सदस्यों की सहमति से मैंने 1100 की सूक्ष्म राशि को ट्रस्ट की प्रारम्भिक सम्पत्ति की घोषणा करते हैं, एवं ट्रस्ट (डीड) आजाद हिन्द विद्या की स्थापना करते हैं।

Aslam
किताब शिवालय

श्रीमती देवी

Agny
MANAGER
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
NIZAMUDDIN PURA
MAU

पी.टी.ओ.
PRINCIPAL
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)
MAU

पढ़ने वाला- मन्द राज
 पढ़ने वाला- राजेंद्र प्रसाद राय

9.07.18



५०११० ३

(अ) का नाम-

आजाद हिन्द विद्या ऋषट ।

(ब) का पता-

निजामुद्दिनपुरा, मऊ नाथ भंजन,

मऊ।

(क) के उद्देश्य-

विद्या के स्थापना एवं संचालन जिसमें नर्सरी से उच्च शिक्षा के विद्यालय की स्थापना करना, उसका संचालन, शोध संस्था की स्थापना करना, मेडिकल कालेज, एलोपैथिक, आर्युर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक, शैली गाँव का प्रचार करना, आदि संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना।

दिन-हीन लोगों के उत्थान हेतु सहायता प्रदान करना एवं जाति धर्म से उपर उठकर समाज के असहाय लोगों की मदद करना।

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने के उत्थान के लिए कार्य करना।

उद्देश्य से कार्यरत समाजिक संस्थाएं एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना।

कुटिरे उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

सामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना।

आनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना।

उत्थान, बाल उत्थान, कुष्ठरोगी अस्पताल, प्रेस की स्थापना व संचालन करना।

क पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना।

को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट स्कूल एवं क्रिडा संस्थाओं का स्थापना एवं संचालन करना।

संस्था के स्थापना एवं संचालना करना।

भारतीय भाईचारे के बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोष्ठी-करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन

पुरस्कार वितरण करना, ज्ञान वर्धक प्रतियोगिताओं की स्थापना करना एवं इत्यादि कार्यों की

संचालन करना।

प्रिंसिपल देवी

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
MANAGER
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
NIZAMUDDIN PURA
MAU

पी.टी.ओ.
P. T. O.
PRINCIPAL
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)
MAU

(Handwritten signature)

19.07.18



ट्रस्टी का कार्यकाल :-

पृ० सं० 4

संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जबतक जिवित रहगा अपने पद पर बतलाया। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद द्वितीय ट्रस्टी कार्य को देखेगा, दोनों के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी के पुत्रों में सबसे कनिष्ठ पुत्र सपत्नी यदि है तो संस्थापक ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे। पुत्र का ना होने पर पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री ट्रस्टी होगी।

गणपूर्ति :-

ट्रस्ट के सदस्यों में कोई रिक्त होता है तो उसे 2/3 बहुमत से भरा जायेगा। जिसमें संस्थापक ट्रस्टी का अनमोदन आवश्यक होगा, यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी के रिक्ति को भरने के लिए लागू नहीं होगा। न्याय सदस्य की नियुक्ति 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 25 हजार रुपये नगद या उतने ही की चल सम्पत्ति देने पर होगी। यह शुक्क संस्था के स्थापना तिथि के हर 10 वर्ष बाद 25 प्रतिशत बढ़ायेगी।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. चन्दा लेना, दान लेना, जो किसी व्यक्ति कम्पनी, सरकारी संस्था इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है।
 2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक ट्रस्टी धन का उपयोग कर सकता है।
 3. ट्रस्टी का स्वयं विवेक है कि ट्रस्ट के फन्ड या पूंजि को बढ़ाने के लिए भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1950 के प्राविधान के अनुसार चल-अचल सम्पत्ति के आदि के रूप में पूंजि बढ़ायेगा। भारतीय इनकम ट्रस्ट एक्ट के प्राविधान जाहां जैसे है वहां उससे ट्रस्ट लागूचित होगा। ट्रस्टी चल-अचल सम्पत्ति को ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बेच या खरिद सकता है। बन्धक यह लिज (पट्टे) पर दे सकता है।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च भी कर सकता है।

ट्रस्ट सम्बन्धित विवादों के निवारण हेतु कोर्ट सम्बन्धित सारे काम संस्थापक ट्रस्टी ही करेगा। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकखाने में सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए एवं खर्च करने के लिए ट्रस्ट के नाम खाता खोल कर उसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी स्वयं करेगा। पी.टी.आ.

A-20my
(A-20my)

MANAGER
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
NIZAMUDDIN PURA
MAU

Principal
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
MAU

19.07.13

